

औरंगज़ेब के शासनकाल में स्थानीय न्यायिक प्रशासन: परगना काज़ियों की भूमिका, राजस्व व्यवस्था एवं सामाजिक न्याय का ऐतिहासिक विश्लेषण

संजू कुमारी*¹, डॉ. मुक्ता सिंह¹, डॉ. सुरेन्द्र कुमार²

¹इतिहास विभाग मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रातीबड़, भोपाल – 462044, मध्य प्रदेश, भारत

²इतिहास विभाग, सिंदरी कॉलेज, सिंदरी, धनबाद, झारखंड, भारत

Article Received: 04 June 2026, Article Revised: 24 June 2026, Published on: 14 July 2026

*Corresponding Author: संजू कुमारी

इतिहास विभाग मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रातीबड़, भोपाल – 462044, मध्य प्रदेश, भारत

Doi: <https://doi-org/101555/ijarp.8589>

सार (ABSTRACT)

मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी सुव्यवस्थित न्यायिक प्रणाली थी, जिसने विशाल एवं बहुसांस्कृतिक साम्राज्य में विधि, प्रशासन तथा सामाजिक अनुशासन के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य किया। यद्यपि मुगल न्यायिक प्रशासन के अध्ययन में प्रायः सम्राट, शाही काज़ी तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर अधिक ध्यान दिया गया है, किन्तु स्थानीय स्तर पर कार्यरत परगना एवं सरकार (ज़िला) स्तर के काज़ियों की भूमिका अपेक्षाकृत उपेक्षित रही है। वस्तुतः यही अधिकारी ग्रामीण एवं नगरीय समाज के मध्य प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले दीवानी, फौजदारी, राजस्व, पारिवारिक तथा सामाजिक विवादों के निपटारे का प्रमुख माध्यम थे। औरंगज़ेब के शासनकाल (1658–1707) में स्थानीय काज़ियों की संस्था न केवल न्यायिक प्रशासन का अभिन्न अंग थी, बल्कि राजस्व व्यवस्था, धार्मिक प्रशासन, सामाजिक नियंत्रण तथा राज्य की वैधानिकता को सुदृढ़ करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई भी थी।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य औरंगज़ेब के शासनकाल में स्थानीय काज़ियों की नियुक्ति, अधिकार, न्यायिक कार्यप्रणाली, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा ग्रामीण एवं नगरीय समाज में उनकी भूमिका का ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। विशेष रूप से यह अध्ययन इस तथ्य का परीक्षण करता है कि स्थानीय काज़ी केवल न्यायाधीश नहीं थे, बल्कि भूमि के क्रय-विक्रय, उत्तराधिकार, विवाह, वक्फ़, राजस्व विवाद, जज़िया एवं ज़कात के प्रशासन, बाज़ार नियंत्रण तथा स्थानीय प्रशासनिक समन्वय जैसे विविध कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते थे। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि स्थानीय

न्यायिक व्यवस्था का संचालन केवल शरीअत के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था, बल्कि स्थानीय परंपराओं, पंचायतों, प्रथागत विधि तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के साथ समन्वय स्थापित करके किया जाता था। यही कारण है कि मुगल न्याय व्यवस्था को एक मिश्रित (Composite) विधिक प्रणाली के रूप में देखा जाना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

यह शोध यह भी स्थापित करता है कि औरंगज़ेब के शासनकाल में स्थानीय काज़ियों की भूमिका समय के साथ और अधिक व्यापक हुई। विशेष रूप से जज़िया की पुनर्स्थापना (1679 ई.) के बाद अनेक क्षेत्रों में काज़ियों को जज़िया संग्रहण की निगरानी, विवादों के निपटारे तथा संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त ज़कात, धार्मिक अनुदानों तथा सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों में भी उनकी भागीदारी बढ़ी। यद्यपि इन उत्तरदायित्वों ने स्थानीय न्यायिक प्रशासन को अधिक संगठित बनाया, परन्तु इसी के साथ भ्रष्टाचार, प्रशासनिक दबाव तथा धार्मिक पक्षपात जैसी समस्याएँ भी सामने आईं, जिन्होंने न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता को प्रभावित किया।

प्राथमिक फ़ारसी स्रोतों, समकालीन दस्तावेजों तथा आधुनिक इतिहासकारों के विश्लेषण के आधार पर यह शोध-पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि स्थानीय काज़ी मुगल प्रशासन के सबसे प्रभावशाली किन्तु अपेक्षाकृत कम अध्ययन किए गए अधिकारियों में से एक थे। उनकी भूमिका को केवल धार्मिक न्यायाधीश के रूप में नहीं, बल्कि स्थानीय प्रशासन, सामाजिक समन्वय तथा राज्य की प्रशासनिक वैधता के प्रतिनिधि के रूप में समझना अधिक समीचीन होगा।

प्रमुख शब्द: औरंगज़ेब, स्थानीय काज़ी, परगना काज़ी, मुगल न्यायिक प्रशासन, जज़िया, ज़कात, पंचायत, राजस्व प्रशासन, सामाजिक न्याय, मुगल शासन।

भूमिका

मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक ढाँचा अपनी संगठित संरचना, केंद्रीकृत नियंत्रण तथा संस्थागत विकास के कारण विश्व की समकालीन शासन व्यवस्थाओं में विशिष्ट स्थान रखता है। इस प्रशासनिक संरचना की सफलता केवल उसकी सैन्य शक्ति, आर्थिक संसाधनों अथवा राजनीतिक संगठन पर आधारित नहीं थी, बल्कि एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था पर भी निर्भर थी जिसने विशाल साम्राज्य के विविध सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक वर्गों के मध्य संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। न्याय किसी भी राज्य की वैधता का मूल आधार माना जाता है, और मुगल सम्राट स्वयं को न्याय का अंतिम स्रोत मानते थे। तथापि इतने विस्तृत साम्राज्य में न्याय का संचालन केवल शाही दरबार से संभव नहीं था। इसलिए स्थानीय स्तर पर न्यायिक अधिकारियों का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया गया,

जिसमें परगना, सरकार (ज़िला), क़स्बा तथा दुर्गों में नियुक्त स्थानीय काज़ियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी।

इतिहासलेखन में मुगल न्यायिक प्रशासन का अध्ययन प्रायः शाही काज़ी, सद्र, मुहतसिब अथवा सम्राट की न्यायिक नीति तक सीमित रहा है। परिणामस्वरूप स्थानीय न्यायिक संस्थाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि सामान्य जनता का प्रत्यक्ष संपर्क शाही न्यायालय से नहीं, बल्कि स्थानीय काज़ियों से होता था। भूमि-विवाद, ऋण, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति, धार्मिक विवाद, व्यापारिक अनुबंध तथा स्थानीय सामाजिक संघर्षों का निपटारा मुख्यतः इन्हीं न्यायालयों में किया जाता था। इसलिए स्थानीय न्यायिक प्रशासन का अध्ययन मुगल शासन की वास्तविक कार्यप्रणाली को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

औरंगज़ेब का शासनकाल मुगल प्रशासन के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। उसके शासनकाल में न्यायिक संस्थाओं का विस्तार हुआ तथा इस्लामी विधि को प्रशासनिक आधार प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक सुधार किए गए। *फ़तावा-ए-आलमगीरी* का संकलन इसी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम था। किंतु इस तथ्य का अर्थ यह नहीं है कि सम्पूर्ण न्यायिक व्यवस्था केवल शरीअत के कठोर सिद्धांतों पर आधारित थी। स्थानीय स्तर पर न्यायिक निर्णय अनेक बार प्रथागत विधि, ग्राम पंचायतों के निर्णय, स्थानीय सामाजिक परंपराओं तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दिए जाते थे। इस प्रकार स्थानीय काज़ी एक ऐसे अधिकारी के रूप में कार्य करता था जो धार्मिक विधि तथा सामाजिक व्यवहार—दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करता था।

स्थानीय काज़ियों की नियुक्ति केवल न्यायिक आवश्यकता के कारण नहीं की जाती थी। वे राज्य की प्रशासनिक संरचना का अभिन्न अंग थे। उन्हें दस्तावेज़ों का प्रमाणीकरण, भूमि के विक्रय-पत्रों पर मुहर लगाना, वक्फ़ संबंधी मामलों का सत्यापन, विवाह एवं उत्तराधिकार का विधिक प्रमाणन तथा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को विधिक परामर्श देने जैसे दायित्व भी सौंपे गए थे। कई अवसरों पर वे फौजदार, कोतवाल, आमिल तथा दीवान के साथ मिलकर कार्य करते थे। इस प्रकार न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ समन्वय स्थापित था।

स्थानीय न्यायिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता पंचायतों के साथ उसका संबंध था। भारतीय ग्रामीण समाज में पंचायतें प्राचीन काल से ही विवाद-निपटान का प्रभावशाली माध्यम रही थीं। मुगल शासन ने इस संस्था को समाप्त करने के स्थान पर उसे न्यायिक प्रक्रिया का पूरक बनाया। अनेक स्थानीय विवाद पहले पंचायत में सुलझाए जाते थे और केवल जटिल अथवा विधिक मामलों को काज़ी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। कई दस्तावेज़ों से यह भी ज्ञात होता है कि पंचायत के निर्णयों को काज़ी द्वारा विधिक मान्यता प्रदान की जाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि मुगल न्यायिक प्रशासन ने स्थानीय

सामाजिक संस्थाओं को अपने प्रशासनिक ढाँचे में समाहित कर लिया था, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक व्यावहारिक एवं सामाजिक रूप से स्वीकार्य बन सकी।

औरंगज़ेब के शासनकाल में स्थानीय काज़ियों के अधिकारों में एक नया आयाम तब जुड़ा जब 1679 ई. में जज़िया कर को पुनः लागू किया गया। जज़िया की वसूली के लिए पृथक प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की गई, जिसमें अनेक स्थानों पर काज़ियों को जज़िया के अमीनों के साथ मिलकर कार्य करना पड़ा। जज़िया संबंधी विवादों, कर-मुक्ति के दावों तथा कर-संग्रह से उत्पन्न विवादों में उनकी भागीदारी बढ़ी। इसी प्रकार मुसलमानों से वसूले जाने वाले ज़कात से संबंधित विवादों में भी उन्हें अधिकार प्रदान किए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय न्यायिक प्रशासन केवल न्याय देने वाली संस्था नहीं रहा, बल्कि राजस्व प्रशासन का भी सक्रिय अंग बन गया।

हालाँकि, इन विस्तृत उत्तरदायित्वों के साथ अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हुईं। समकालीन स्रोतों में जज़िया संग्रहण के दौरान कठोरता, भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी के आरोपों का उल्लेख मिलता है। कुछ अमीनों एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली किए जाने की शिकायतें भी दर्ज हैं। इससे न्यायिक एवं राजस्व प्रशासन की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगने लगे। स्वयं औरंगज़ेब को भी समय-समय पर इस प्रकार की शिकायतों का सामना करना पड़ा। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक आदर्श और व्यावहारिक वास्तविकता के बीच पर्याप्त अंतर विद्यमान था।

स्थानीय काज़ियों की भूमिका का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष बाज़ार नियंत्रण तथा सार्वजनिक हित से संबंधित था। अकाल, सैन्य अभियानों अथवा खाद्यान्न संकट की परिस्थितियों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती थी। फौजदार अथवा कोतवाल द्वारा निर्धारित मूल्य सूची पर काज़ी की मुहर लगाई जाती थी, जिससे उसे विधिक वैधता प्राप्त होती थी। यह व्यवस्था स्पष्ट करती है कि स्थानीय काज़ी केवल न्यायिक अधिकारी नहीं था, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक प्रशासन के संचालन में भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य औरंगज़ेब के शासनकाल में स्थानीय न्यायिक प्रशासन की संरचना, स्थानीय काज़ियों के अधिकार, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, पंचायतों के साथ उनके संबंध, राजस्व प्रशासन में उनकी भूमिका तथा न्यायिक व्यवस्था की व्यावहारिक सीमाओं का समग्र विश्लेषण करना है। यह अध्ययन इस धारणा का पुनर्मूल्यांकन करता है कि मुगल न्याय व्यवस्था पूर्णतः धार्मिक विधि पर आधारित थी। उपलब्ध स्रोतों के आलोचनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया में शरीअत, प्रथागत विधि, पंचायत, प्रशासनिक विवेक तथा सामाजिक आवश्यकताओं का समन्वित प्रयोग किया जाता था। यही समन्वय मुगल प्रशासन की स्थिरता तथा दीर्घकालिक सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था।

स्थानीय काज़ियों की नियुक्ति, अधिकार एवं न्यायिक प्रशासन : संस्थागत स्वरूप और प्रशासनिक कार्यप्रणाली

मुगल साम्राज्य की न्यायिक व्यवस्था का वास्तविक संचालन केवल शाही राजधानी तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी प्रभावशीलता स्थानीय स्तर पर स्थापित न्यायिक संस्थाओं पर निर्भर करती थी। औरंगज़ेब के शासनकाल में परगना, सरकार (ज़िला), कस्बों तथा प्रमुख नगरों में नियुक्त स्थानीय काज़ी न्यायिक प्रशासन की सबसे सक्रिय इकाई थे। जहाँ सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश तथा शाही काज़ी सर्वोच्च विधिक अधिकारी था, वहीं सामान्य जनता के लिए न्याय प्राप्त करने का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण माध्यम स्थानीय काज़ी ही था। इसलिए मुगल न्यायिक व्यवस्था की सफलता का आधार स्थानीय न्यायालयों की कार्यक्षमता, निष्पक्षता तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व पर निर्भर करता था। उपलब्ध फ़ारसी स्रोतों से यह स्पष्ट होता है कि औरंगज़ेब ने स्थानीय न्यायिक संस्थाओं को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए नियुक्ति, अधिकार तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की थी।

स्थानीय काज़ियों की नियुक्ति का अधिकार सिद्धांततः सम्राट के अधीन था, किन्तु व्यवहार में यह प्रक्रिया शाही काज़ी, सद्र तथा प्रांतीय प्रशासन के परामर्श से सम्पन्न होती थी। प्रांतों के लिए नियुक्त सूबेदार और सद्र-ए-सूबा योग्य व्यक्तियों के नामों की अनुशंसा करते थे, जिसके बाद अंतिम स्वीकृति शाही दरबार से प्रदान की जाती थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि न्यायिक पदों पर ऐसे व्यक्ति नियुक्त हों जो विधि, धर्म तथा स्थानीय समाज—तीनों से परिचित हों। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मुगल प्रशासन स्थानीय न्यायिक संस्थाओं को अत्यधिक महत्व देता था और उन्हें सामान्य प्रशासनिक पदों की अपेक्षा अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण मानता था।

नियुक्ति के लिए केवल धार्मिक विद्वत्ता पर्याप्त नहीं मानी जाती थी। उम्मीदवार का कुरआन, हदीस, फ़िक्ह तथा विशेष रूप से हनफ़ी न्यायशास्त्र में दक्ष होना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, नैतिक चरित्र, प्रशासनिक अनुभव तथा स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों की समझ भी आवश्यक योग्यताओं में सम्मिलित थी। अनेक विधिशास्त्रीय ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि न्यायाधीश को क्रोध, लोभ, पक्षपात तथा राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर निर्णय देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन गुणों से रहित हो, तो उसकी नियुक्ति न्यायिक व्यवस्था के लिए हानिकारक मानी जाती थी। इस प्रकार नियुक्ति का आधार केवल धार्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि प्रशासनिक क्षमता एवं नैतिक विश्वसनीयता भी थी।

स्थानीय काज़ियों का अधिकार क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। वे दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करते थे। भूमि विवाद, उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, मेहर, वसीयत, ऋण, व्यापारिक अनुबंध तथा संपत्ति के हस्तांतरण जैसे मामलों में उनका निर्णय अंतिम माना जाता था, जब तक कि

मामला उच्च न्यायालय अथवा शाही न्यायालय में अपील के रूप में प्रस्तुत न किया जाए। फौजदारी मामलों में हत्या, चोरी, डकैती, व्यभिचार, सार्वजनिक हिंसा तथा धार्मिक अपराधों से संबंधित मामलों की प्रारंभिक सुनवाई भी स्थानीय काज़ियों द्वारा की जाती थी। गंभीर अपराधों में वे फौजदार अथवा प्रांतीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करते थे।

न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य का विशेष महत्व था। स्थानीय काज़ी किसी भी मुकदमे में निर्णय देने से पहले दोनों पक्षों की बात सुनते थे, गवाहों के बयान दर्ज करते थे तथा आवश्यक होने पर लिखित अभिलेखों का परीक्षण करते थे। यदि विवाद भूमि अथवा संपत्ति से संबंधित होता, तो अमीन अथवा कानूनगो द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का भी परीक्षण किया जाता था। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि मुगल न्यायिक व्यवस्था केवल मौखिक साक्ष्यों पर आधारित नहीं थी, बल्कि दस्तावेज़ों और प्रशासनिक अभिलेखों को भी पर्याप्त महत्व दिया जाता था। यह व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित तथा प्रमाण-आधारित बनाती थी।

स्थानीय काज़ियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वे केवल न्यायाधीश नहीं थे, बल्कि सार्वजनिक दस्तावेज़ों के विधिक प्रमाणीकरण के अधिकारी भी थे। भूमि की खरीद-बिक्री, दानपत्र, वक्फ़नामा, विवाह अनुबंध (निकाहनामा), उत्तराधिकार संबंधी दस्तावेज़ तथा अन्य कानूनी अभिलेखों को उनकी मुहर और हस्ताक्षर के बिना विधिक मान्यता प्राप्त नहीं होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय काज़ी न्यायिक प्रशासन के साथ-साथ नागरिक विधि (Civil Law) के भी प्रमुख संरक्षक थे।

मुगल प्रशासन में स्थानीय काज़ी अकेले कार्य नहीं करते थे। उनका प्रशासनिक संबंध अनेक अधिकारियों से था। फौजदार कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायी था, जबकि काज़ी न्यायिक निर्णय देता था। यदि किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करना, दण्ड लागू करना अथवा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक होता, तो फौजदार न्यायालय के आदेशों को लागू करता था। इसी प्रकार कोतवाल नगर प्रशासन, अपराध नियंत्रण तथा बाज़ार व्यवस्था का उत्तरदायी था और आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक मामलों में काज़ी की सहायता करता था। आमिल तथा दीवान राजस्व प्रशासन से जुड़े अधिकारी थे, जो भूमि विवाद, कर निर्धारण तथा राजस्व अभिलेखों से संबंधित मामलों में न्यायालय को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार स्थानीय न्यायिक प्रशासन वास्तव में विभिन्न प्रशासनिक विभागों के समन्वित कार्य का परिणाम था।

भूमि संबंधी विवादों में स्थानीय काज़ियों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था में भूमि स्वामित्व से जुड़े विवाद अत्यंत सामान्य थे। सीमांकन, सिंचाई, उत्तराधिकार, बिक्री तथा बंटवारे के मामलों में स्थानीय न्यायालय अंतिम निर्णय देते थे। इन मामलों में कानूनगो, पटवारी तथा अमीन द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण किया जाता था। यदि आवश्यक हो तो विवादित भूमि का

प्रत्यक्ष निरीक्षण भी कराया जाता था। इस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया प्रशासनिक जाँच एवं विधिक परीक्षण—दोनों पर आधारित होती थी।

पंचायत और स्थानीय काज़ी के संबंध मुगल न्यायिक व्यवस्था की एक विशिष्ट विशेषता थे। भारतीय ग्रामीण समाज में पंचायतें सामाजिक विवादों के समाधान का पारंपरिक माध्यम थीं। मुगल प्रशासन ने इस संस्था को समाप्त करने के स्थान पर न्यायिक व्यवस्था का सहयोगी बनाया। अनेक छोटे विवाद पहले पंचायत में सुलझाए जाते थे। यदि कोई पक्ष पंचायत के निर्णय से असंतुष्ट होता अथवा मामला जटिल विधिक प्रश्न से संबंधित होता, तो उसे स्थानीय काज़ी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। कई अवसरों पर काज़ी पंचायत के निर्णय को विधिक स्वीकृति प्रदान करता था। इससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय न्यायिक व्यवस्था ने भारतीय परंपरागत संस्थाओं को अपने प्रशासनिक ढाँचे में समाहित कर लिया था।

औरंगज़ेब के शासनकाल में स्थानीय काज़ियों के अधिकारों का विस्तार केवल न्यायिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। जज़िया कर की पुनर्स्थापना के बाद कई क्षेत्रों में उन्हें कर संग्रहण से उत्पन्न विवादों के निपटारे का दायित्व भी सौंपा गया। कर-मुक्त व्यक्तियों की पहचान, कर निर्धारण से संबंधित आपत्तियाँ तथा कर संग्रहण में उत्पन्न विवादों में स्थानीय काज़ी की राय को महत्व दिया जाता था। इसी प्रकार ज़कात से संबंधित मामलों में भी वे धार्मिक एवं विधिक अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। इससे स्थानीय न्यायालयों का संबंध राजस्व प्रशासन से और अधिक सुदृढ़ हो गया।

स्थानीय काज़ियों की भूमिका बाज़ार व्यवस्था एवं सार्वजनिक जीवन में भी दिखाई देती है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण, व्यापारिक अनुबंधों के प्रमाणीकरण, नाप-तौल संबंधी विवादों तथा सार्वजनिक शिकायतों में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। यद्यपि बाज़ार नियंत्रण का प्रत्यक्ष दायित्व कोतवाल अथवा मुहत्तसिब का था, फिर भी कई अवसरों पर काज़ी द्वारा विधिक स्वीकृति प्रदान किए बिना प्रशासनिक आदेश प्रभावी नहीं माने जाते थे। इससे स्पष्ट होता है कि न्यायिक वैधता प्रशासनिक आदेशों के क्रियान्वयन का आवश्यक आधार थी।

स्थानीय न्यायिक प्रशासन की प्रभावशीलता का एक प्रमुख कारण उसकी सुलभता थी। सामान्य कृषक, व्यापारी, कारीगर तथा नगरवासी अपेक्षाकृत कम व्यय और कम समय में स्थानीय न्यायालय तक पहुँच सकते थे। इससे न्याय केवल उच्च वर्गों तक सीमित नहीं रहा। यद्यपि व्यवहार में सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति तथा स्थानीय प्रभाव न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते थे, फिर भी संस्थागत स्तर पर न्याय सभी के लिए उपलब्ध था। यही कारण है कि मुगल शासन लंबे समय तक व्यापक ग्रामीण समाज में प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने में सफल रहा।

फिर भी स्थानीय न्यायिक प्रशासन अनेक चुनौतियों से मुक्त नहीं था। विशाल साम्राज्य, सीमित संचार व्यवस्था, प्रांतीय अधिकारियों का प्रभाव तथा स्थानीय सामंतों का दबाव कई बार न्यायिक निष्पक्षता को प्रभावित करता था। कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, रिश्तत तथा पक्षपात की शिकायतें भी मिलती हैं। विशेषकर राजस्व संबंधी मामलों में स्थानीय अधिकारियों एवं काज़ियों के बीच मिलीभगत के आरोप समकालीन स्रोतों में उल्लेखित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आदर्श न्यायिक सिद्धांतों का व्यवहारिक क्रियान्वयन सदैव समान रूप से संभव नहीं था।

समग्रतः यह कहा जा सकता है कि औरंगज़ेब के शासनकाल में स्थानीय काज़ी न्यायिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला थे। उन्होंने केवल न्यायिक विवादों का समाधान ही नहीं किया, बल्कि प्रशासनिक समन्वय, नागरिक अभिलेखों के प्रमाणीकरण, राजस्व विवादों के निपटारे, पंचायतों के साथ सहयोग तथा स्थानीय प्रशासन की विधिक वैधता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार स्थानीय काज़ियों की संस्था मुगल शासन के विकेन्द्रीकृत न्यायिक प्रशासन की सबसे प्रभावशाली इकाई थी और उसकी कार्यप्रणाली के बिना औरंगज़ेब की न्यायिक व्यवस्था को पूर्णतः समझना संभव नहीं है।

स्थानीय न्यायालयों की कार्यप्रणाली, दीवानी एवं फौजदारी न्याय, भूमि एवं राजस्व विवाद तथा पंचायतों के साथ न्यायिक समन्वय

औरंगज़ेब के शासनकाल में स्थानीय न्यायिक प्रशासन मुगल शासन की सबसे सक्रिय एवं व्यवहारिक प्रशासनिक संस्थाओं में से एक था। यद्यपि सर्वोच्च न्यायिक अधिकार सम्राट तथा शाही काज़ी के पास निहित था, तथापि सामान्य जनता के लिए न्याय प्राप्त करने का प्रथम और सर्वाधिक सुलभ माध्यम स्थानीय न्यायालय ही थे। परगना, सरकार (ज़िला) तथा प्रमुख नगरों में स्थापित इन न्यायालयों में प्रतिदिन भूमि, संपत्ति, व्यापार, पारिवारिक संबंधों, कराधान, धार्मिक मामलों तथा सामाजिक विवादों से संबंधित अनेक मुकदमे प्रस्तुत होते थे। स्थानीय काज़ी न केवल इन मामलों का न्यायिक निपटारा करता था, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायतों तथा राजस्व कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित कर न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करता था। यही कारण है कि मुगल प्रशासन की स्थिरता में स्थानीय न्यायालयों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

स्थानीय न्यायालयों की कार्यप्रणाली विधिक औपचारिकताओं एवं व्यवहारिक प्रशासन का समन्वित स्वरूप थी। किसी भी विवाद की सुनवाई प्रार्थना-पत्र अथवा मौखिक शिकायत से प्रारंभ होती थी। इसके पश्चात दोनों पक्षों को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता था। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान वादी एवं प्रतिवादी के कथनों को सुना जाता, गवाहों के बयान दर्ज किए जाते तथा आवश्यक होने पर

संबंधित दस्तावेजों की जाँच की जाती थी। यदि मामला भूमि अथवा राजस्व से संबंधित होता, तो कानूनगो, पटवारी अथवा अमीन द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण भी किया जाता था। कई बार न्यायिक अधिकारी स्वयं घटनास्थल के निरीक्षण का आदेश देते थे ताकि तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट हो सके। इससे यह सिद्ध होता है कि स्थानीय न्यायालय केवल धार्मिक नियमों के आधार पर निर्णय नहीं देते थे, बल्कि प्रमाण, अभिलेख तथा प्रशासनिक जाँच को भी समान महत्व प्रदान करते थे।

दीवानी न्याय स्थानीय न्यायालयों का सबसे व्यापक क्षेत्र था। ग्रामीण समाज में कृषि, भूमि स्वामित्व तथा पारिवारिक संपत्ति जीवन का मुख्य आधार थे, इसलिए अधिकांश विवाद इन्हीं विषयों से संबंधित होते थे। भूमि की खरीद-बिक्री, सीमांकन, सिंचाई के अधिकार, बंटवारा, उत्तराधिकार, ऋण, बंधक तथा कृषि अधिकारों से जुड़े विवादों का निपटारा स्थानीय काज़ियों द्वारा किया जाता था। इस प्रक्रिया में लिखित दस्तावेजों का अत्यधिक महत्व था। यदि किसी व्यक्ति के पास वैध बिक्री-पत्र, दानपत्र अथवा वसीयत उपलब्ध होती, तो न्यायालय उसे प्राथमिक प्रमाण के रूप में स्वीकार करता था। इस प्रकार दस्तावेज़ी प्रमाण मुगल न्यायिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार था।

उत्तराधिकार संबंधी मामलों में स्थानीय न्यायालयों की भूमिका विशेष उल्लेखनीय थी। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के विभाजन को लेकर उत्पन्न विवादों का निर्णय शरीअत के उत्तराधिकार संबंधी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता था। यदि विवाद मुस्लिम परिवारों से संबंधित होता, तो इस्लामी विधि लागू की जाती थी। किंतु अनेक अवसरों पर स्थानीय हिंदू समुदायों के व्यक्तिगत मामलों में प्रथागत विधि तथा पंचायतों के निर्णयों को भी मान्यता दी जाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि मुगल न्यायिक व्यवस्था व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाती थी तथा स्थानीय समाज की परंपराओं को पूर्णतः अस्वीकार नहीं करती थी।

व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के कारण व्यापार एवं ऋण संबंधी विवाद भी स्थानीय न्यायालयों में बड़ी संख्या में आते थे। व्यापारियों के मध्य अनुबंध, उधार, साझेदारी तथा वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े मामलों में स्थानीय काज़ी लिखित अनुबंधों, गवाहों तथा व्यापारिक अभिलेखों के आधार पर निर्णय देता था। यदि किसी व्यापारी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन किया जाता, तो न्यायालय उसे क्षतिपूर्ति अथवा दायित्वों के निर्वहन का आदेश दे सकता था। इस प्रकार स्थानीय न्यायालय व्यापारिक गतिविधियों में विधिक सुरक्षा प्रदान करते थे, जिससे आर्थिक जीवन में स्थिरता बनी रहती थी।

फौजदारी न्याय स्थानीय न्यायिक प्रशासन का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र था। चोरी, डकैती, हत्या, मारपीट, व्यभिचार, सार्वजनिक हिंसा तथा अन्य गंभीर अपराधों की प्रारंभिक सुनवाई स्थानीय न्यायालयों में होती थी। तथापि गंभीर अपराधों में स्थानीय काज़ी अकेले निर्णय नहीं देता था। वह फौजदार, कोतवाल तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करता था। अपराधी की गिरफ्तारी,

साक्ष्य का संग्रहण तथा दण्ड के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व मुख्यतः कार्यपालिका के अधिकारियों पर होता था, जबकि न्यायिक वैधता प्रदान करने का कार्य काज़ी करता था। इससे स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के मध्य स्पष्ट कार्य-विभाजन विद्यमान था।

हत्या जैसे गंभीर मामलों में न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत सावधानीपूर्वक संचालित की जाती थी। प्रत्यक्षदर्शी गवाह, चिकित्सकीय अथवा परिस्थितिजन्य प्रमाण तथा स्थानीय अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिया जाता था। यदि पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न हों, तो कठोर दण्ड देने से बचा जाता था। यह तथ्य इस धारणा का खंडन करता है कि मुगल न्यायिक व्यवस्था केवल धार्मिक दण्ड-विधान पर आधारित थी। वास्तव में प्रमाण एवं न्यायिक प्रक्रिया को पर्याप्त महत्व दिया जाता था।

स्थानीय न्यायालयों की एक महत्वपूर्ण विशेषता पंचायतों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। भारतीय ग्राम-व्यवस्था में पंचायतें सदियों से विवाद-निपटान की प्रमुख संस्था रही थीं। मुगल प्रशासन ने इस पारंपरिक व्यवस्था को समाप्त करने के स्थान पर उसे अपने प्रशासनिक ढाँचे का सहयोगी बना लिया। अधिकांश सामाजिक एवं पारिवारिक विवाद पहले पंचायत में सुलझाए जाते थे। केवल वे मामले, जिनमें विधिक प्रश्न जटिल हों अथवा किसी पक्ष द्वारा पंचायत के निर्णय को चुनौती दी जाए, स्थानीय काज़ी के समक्ष प्रस्तुत किए जाते थे। कई अवसरों पर पंचायत द्वारा दिए गए निर्णयों को काज़ी विधिक स्वीकृति प्रदान करता था। इस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया में राज्य एवं समाज—दोनों की सहभागिता सुनिश्चित होती थी।

भूमि एवं राजस्व संबंधी विवादों में पंचायतों और स्थानीय काज़ियों का संयुक्त कार्य विशेष रूप से प्रभावी था। ग्राम पंचायत स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होने के कारण वास्तविक स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराती थी, जबकि काज़ी उस विवाद का विधिक परीक्षण करता था। इससे निर्णय अधिक संतुलित एवं सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनते थे। यही कारण है कि अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम समय एवं कम व्यय में सम्पन्न हो जाती थी।

औरंगज़ेब के शासनकाल में स्थानीय न्यायालयों का संबंध राजस्व प्रशासन से भी गहरा था। भूमि कर, जज़िया तथा अन्य करों से संबंधित विवादों का निपटारा कई बार स्थानीय काज़ियों के समक्ष किया जाता था। विशेष रूप से 1679 ई. में जज़िया की पुनर्स्थापना के बाद कर निर्धारण, कर-मुक्ति तथा कर संग्रहण से जुड़े अनेक विवाद उत्पन्न हुए। इन मामलों में स्थानीय काज़ी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करते थे तथा आवश्यक होने पर विधिक निर्णय प्रदान करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि न्यायिक प्रशासन और राजस्व प्रशासन के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित हो चुका था।

स्थानीय न्यायालयों की भूमिका केवल विवादों के समाधान तक सीमित नहीं थी। वे सामाजिक अनुशासन बनाए रखने का भी महत्वपूर्ण माध्यम थे। विवाह का पंजीकरण, तलाक़ की पुष्टि, वसीयतों का प्रमाणीकरण, वक्फ़ संपत्तियों का संरक्षण तथा सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में स्थानीय काज़ी की

विधिक स्वीकृति आवश्यक मानी जाती थी। इस प्रकार न्यायिक संस्था समाज के नागरिक जीवन का भी अभिन्न अंग बन गई थी।

बाज़ार एवं व्यापारिक व्यवस्था में भी स्थानीय न्यायालयों का अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण, नाप-तौल संबंधी विवादों, व्यापारिक अनुबंधों तथा उपभोक्ता शिकायतों में काज़ी की भूमिका विधिक वैधता प्रदान करने की थी। कोतवाल एवं मुहत्सिब द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों के आधार पर यदि कोई व्यापारी दोषी पाया जाता, तो न्यायालय उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई का आदेश दे सकता था। इस प्रकार आर्थिक गतिविधियों में न्यायिक नियंत्रण भी विद्यमान था।

यद्यपि स्थानीय न्यायालयों की संरचना सुदृढ़ थी, तथापि व्यवहारिक स्तर पर अनेक सीमाएँ भी विद्यमान थीं। विशाल साम्राज्य, सीमित संचार व्यवस्था तथा स्थानीय अधिकारियों का प्रभाव कई बार न्यायिक निष्पक्षता को प्रभावित करता था। शक्तिशाली ज़मींदार, स्थानीय सामंत अथवा प्रभावशाली व्यापारी न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव डाल सकते थे। कुछ समकालीन विवरणों में रिश्वत, पक्षपात तथा अनुचित प्रभाव के आरोप भी मिलते हैं। विशेषकर भूमि एवं राजस्व विवादों में प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय काज़ियों की मिलीभगत की शिकायतें सामने आती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आदर्श न्यायिक व्यवस्था व्यवहार में सदैव समान रूप से लागू नहीं हो पाती थी।

फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि स्थानीय न्यायालयों ने मुगल शासन को ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर वैधानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने न्याय को अपेक्षाकृत सुलभ बनाया, स्थानीय सामाजिक संस्थाओं को प्रशासन से जोड़ा तथा प्रशासनिक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। यदि केवल शाही न्यायालयों पर निर्भरता रहती, तो इतने विशाल साम्राज्य में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी रूप से संचालित नहीं हो सकती थी। स्थानीय काज़ियों की सक्रियता ने इस कमी को दूर किया और न्यायिक विकेंद्रीकरण को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया।

समग्र विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि औरंगज़ेब के शासनकाल की स्थानीय न्यायिक व्यवस्था केवल धार्मिक कानून के अनुपालन तक सीमित नहीं थी। वह भारतीय सामाजिक परंपराओं, पंचायत व्यवस्था, प्रशासनिक आवश्यकताओं तथा इस्लामी विधि—इन सभी के समन्वय पर आधारित एक व्यावहारिक न्यायिक प्रणाली थी। स्थानीय काज़ी इस समन्वय का प्रमुख संवाहक था। उसकी भूमिका न्यायाधीश, विधिक सलाहकार, दस्तावेज़ प्रमाणक, राजस्व विवादों के निर्णायक तथा सामाजिक मध्यस्थ—सभी रूपों में दिखाई देती है। इसी कारण स्थानीय न्यायालय मुगल प्रशासन की सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में से एक थे और औरंगज़ेब के शासनकाल में उनकी प्रशासनिक उपयोगिता अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गई।

स्थानीय काज़ियों की प्रशासनिक भूमिका, जज़िया एवं ज़कात का प्रबंधन, बाज़ार नियंत्रण, न्यायिक सीमाएँ तथा आलोचनात्मक विश्लेषण

औरंगज़ेब के शासनकाल में स्थानीय काज़ियों की भूमिका केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे स्थानीय प्रशासन की बहुआयामी व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग थे। न्यायिक दायित्वों के अतिरिक्त उन्हें धार्मिक प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, सार्वजनिक अनुशासन, बाज़ार नियंत्रण, सामाजिक विवादों के समाधान तथा राज्य की वैधानिक नीतियों के क्रियान्वयन में भी सक्रिय रूप से सम्मिलित किया गया। इस प्रकार स्थानीय काज़ी न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य एक समन्वयकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता था। यही कारण है कि औरंगज़ेब के प्रशासन में उसकी भूमिका पूर्ववर्ती मुगल शासकों की अपेक्षा अधिक व्यापक एवं प्रभावशाली दिखाई देती है।

स्थानीय काज़ियों की प्रशासनिक भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष राजस्व व्यवस्था से उनका संबंध था। मुगल शासन की आर्थिक शक्ति भूमि-राजस्व पर आधारित थी, किंतु इसके अतिरिक्त जज़िया, ज़कात तथा अन्य धार्मिक कर भी प्रशासनिक ढाँचे का अंग थे। यद्यपि इन करों का प्रत्यक्ष संग्रहण आमिलों एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाता था, फिर भी कर-संबंधी विवादों के निपटारे, कर-मुक्ति के दावों की जाँच तथा विधिक वैधता प्रदान करने में स्थानीय काज़ियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राजस्व संग्रहण केवल प्रशासनिक शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि विधिक सिद्धांतों के अनुरूप संचालित हो।

1679 ईस्वी में औरंगज़ेब द्वारा जज़िया कर की पुनर्स्थापना मुगल प्रशासन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस निर्णय के पश्चात स्थानीय स्तर पर कर संग्रहण के लिए नई प्रशासनिक व्यवस्थाएँ विकसित की गईं। जज़िया के निर्धारण, करदाताओं के वर्गीकरण, कर-मुक्त व्यक्तियों की पहचान तथा संग्रहण से उत्पन्न विवादों में स्थानीय काज़ियों की सक्रिय भागीदारी दिखाई देती है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को कर-मुक्त वर्ग में सम्मिलित होने का दावा करता था अथवा कर निर्धारण के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत करता था, तो स्थानीय न्यायालय उस विवाद की सुनवाई करता था। इससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय काज़ी राजस्व प्रशासन में केवल औपचारिक अधिकारी नहीं था, बल्कि विधिक निर्णय देने वाला प्रमुख प्राधिकारी भी था।

हालाँकि जज़िया की प्रशासनिक व्यवस्था व्यवहार में अनेक कठिनाइयों से घिरी हुई थी। विशाल साम्राज्य, विविध सामाजिक संरचनाएँ तथा स्थानीय अधिकारियों की कार्यशैली के कारण कई क्षेत्रों में कर संग्रहण के दौरान शिकायतें उत्पन्न हुईं। समकालीन विवरणों से संकेत मिलता है कि कुछ अमीनों एवं राजस्व अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया तथा अनुचित वसूली के प्रयास भी किए। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय काज़ियों को शिकायतों की जाँच कर न्यायिक निर्णय देना पड़ता था। इससे

यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक आदर्श और व्यवहारिक क्रियान्वयन के मध्य पर्याप्त अंतर विद्यमान था। औरंगज़ेब समय-समय पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर अधिकारियों को निष्पक्षता बनाए रखने के निर्देश भी देता था।

ज़कात के प्रशासन में भी स्थानीय काज़ियों की भूमिका उल्लेखनीय थी। ज़कात इस्लामी धार्मिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग था तथा उसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता करना था। स्थानीय स्तर पर ज़कात से संबंधित विवाद, पात्र व्यक्तियों की पहचान तथा धार्मिक संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने जैसे विषयों में काज़ी की राय को महत्व दिया जाता था। कई क्षेत्रों में वक्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन तथा धार्मिक संस्थानों के संरक्षण में भी स्थानीय काज़ियों की भूमिका दिखाई देती है। इससे स्पष्ट होता है कि वे केवल न्यायिक अधिकारी नहीं थे, बल्कि धार्मिक एवं सामाजिक प्रशासन के भी प्रमुख अंग थे।

स्थानीय प्रशासन में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाज़ार नियंत्रण भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। मुगल शासन यह मानता था कि वस्तुओं की उचित उपलब्धता, मूल्य स्थिरता तथा व्यापारिक अनुशासन सामाजिक शांति के लिए आवश्यक हैं। इस कारण कोतवाल, मुहतसिब तथा स्थानीय काज़ी मिलकर बाज़ार व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। नाप-तौल में धोखाधड़ी, आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी, अनुचित मूल्य वृद्धि तथा व्यापारिक अनुबंधों के उल्लंघन से संबंधित विवादों में स्थानीय न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता था। काज़ी द्वारा विधिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात प्रशासनिक आदेशों को वैधानिक आधार प्राप्त होता था।

बाज़ार नियंत्रण की यह व्यवस्था केवल आर्थिक नीति का अंग नहीं थी, बल्कि न्यायिक प्रशासन का भी महत्वपूर्ण विस्तार थी। यदि व्यापारी वर्ग अनुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से मूल्य वृद्धि करता या जनता का शोषण करता, तो स्थानीय प्रशासन उसके विरुद्ध कार्रवाई करता था। इस प्रकार न्यायिक संस्थाओं का उद्देश्य केवल अपराधों का दमन नहीं, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक संतुलन बनाए रखना भी था। यह व्यवस्था मुगल प्रशासन की उस व्यापक अवधारणा को प्रकट करती है जिसमें न्याय, अर्थव्यवस्था तथा सार्वजनिक हित को परस्पर संबद्ध माना गया।

स्थानीय काज़ियों की प्रशासनिक भूमिका का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष दस्तावेज़ों का प्रमाणीकरण था। भूमि विक्रय-पत्र, उत्तराधिकार संबंधी अभिलेख, वसीयत, विवाह अनुबंध, वक्फ़नामा तथा अन्य कानूनी दस्तावेज़ उनकी स्वीकृति के बिना विधिक रूप से पूर्ण नहीं माने जाते थे। इससे न्यायालय केवल विवाद समाधान का मंच नहीं था, बल्कि नागरिक अधिकारों के संरक्षण का भी संस्थागत माध्यम था। इस प्रक्रिया ने संपत्ति संबंधी अधिकारों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान की तथा भविष्य के विवादों की संभावना को कम किया।

इसके अतिरिक्त स्थानीय काज़ी अनेक अवसरों पर प्रशासनिक अधिकारियों के विधिक सलाहकार के रूप में भी कार्य करते थे। फौजदार, कोतवाल, आमिल तथा दीवान जटिल विधिक प्रश्नों पर उनसे परामर्श लेते थे। विशेष रूप से धार्मिक विवादों, सार्वजनिक दान, वक्फ़, विवाह तथा उत्तराधिकार के मामलों में उनका विधिक मत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय न्यायपालिका और प्रशासन के मध्य घनिष्ठ सहयोग की व्यवस्था विद्यमान थी।

यद्यपि स्थानीय न्यायिक प्रशासन का संगठन प्रभावशाली था, फिर भी उसकी अनेक सीमाएँ थीं। सबसे पहली सीमा न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव था। स्थानीय काज़ी प्रशासनिक दृष्टि से प्रांतीय अधिकारियों तथा अंततः सम्राट के अधीन थे। यदि किसी मामले का राजनीतिक अथवा राजस्व संबंधी महत्व अधिक होता, तो प्रशासनिक अधिकारियों का प्रभाव न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ सकता था। इस कारण न्यायपालिका आधुनिक अर्थों में स्वतंत्र संस्था नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक ढाँचे का एक अंग थी।

दूसरी महत्वपूर्ण सीमा भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की समस्या थी। कुछ समकालीन स्रोतों में उल्लेख मिलता है कि स्थानीय स्तर पर न्यायिक पदों का दुरुपयोग किया गया। रिश्वत लेकर निर्णय देना, प्रभावशाली व्यक्तियों के पक्ष में निर्णय करना तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलीभगत जैसी समस्याएँ समय-समय पर सामने आती रहीं। विशेष रूप से भूमि एवं राजस्व विवादों में ऐसी शिकायतें अधिक दिखाई देती हैं। यद्यपि औरंगज़ेब ने ऐसे मामलों में कठोर निर्देश जारी किए, फिर भी इतने विशाल साम्राज्य में इन समस्याओं का पूर्ण समाधान संभव नहीं हो सका।

तीसरी सीमा स्थानीय सामाजिक संरचना से संबंधित थी। भारतीय समाज जाति, वर्ग तथा आर्थिक असमानताओं से प्रभावित था। व्यवहार में प्रभावशाली ज़मींदार, बड़े व्यापारी तथा स्थानीय अभिजात वर्ग न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। दूसरी ओर सामान्य कृषक अथवा निम्न आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए न्याय प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन हो सकता था। यद्यपि सिद्धांततः न्याय सभी के लिए समान था, किंतु व्यवहारिक परिस्थितियाँ कई बार इस आदर्श को सीमित कर देती थीं।

स्थानीय न्यायिक प्रशासन की एक अन्य चुनौती धार्मिक विविधता थी। मुगल साम्राज्य में मुसलमानों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में हिंदू, जैन, सिख तथा अन्य समुदाय निवास करते थे। मुस्लिम समुदाय के व्यक्तिगत मामलों में शरीअत लागू की जाती थी, जबकि अन्य समुदायों के अनेक मामलों में स्थानीय रीति-रिवाजों एवं प्रथागत विधि को भी मान्यता दी जाती थी। स्थानीय काज़ियों के लिए इन विविध विधिक परंपराओं के मध्य संतुलन बनाए रखना एक जटिल कार्य था। यही कारण है कि व्यवहार में अनेक निर्णय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार दिए जाते थे, न कि केवल धार्मिक विधि के आधार पर।

आधुनिक इतिहासकारों ने स्थानीय न्यायिक प्रशासन के संबंध में विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। Jadunath Sarkar का मत है कि औरंगज़ेब के शासनकाल में न्यायिक व्यवस्था पर धार्मिक प्रभाव अपेक्षाकृत

अधिक था, जबकि Irfan Habib तथा Satish Chandra जैसे इतिहासकारों के अनुसार मुगल प्रशासन की वास्तविक प्रकृति व्यावहारिक थी, जिसमें राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी। उनके अनुसार स्थानीय काज़ियों की भूमिका को केवल धार्मिक न्यायाधीश के रूप में देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि वे प्रशासनिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के भी अभिन्न अंग थे।

समकालीन फ़ारसी स्रोतों एवं आधुनिक इतिहासलेखन के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय न्यायिक प्रशासन का स्वरूप मिश्रित (Composite) था। एक ओर शरीअत न्यायिक वैधता का आधार थी, दूसरी ओर पंचायत, स्थानीय परंपराएँ, प्रशासनिक आवश्यकताएँ तथा आर्थिक परिस्थितियाँ भी न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करती थीं। यही कारण है कि स्थानीय न्यायालयों ने भारतीय समाज की विविधता के अनुरूप अपेक्षाकृत लचीली न्यायिक व्यवस्था विकसित की।

समग्र विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि औरंगज़ेब के शासनकाल में स्थानीय काज़ियों की संस्था केवल न्यायिक व्यवस्था का अंग नहीं थी, बल्कि वह प्रशासनिक स्थिरता, राजस्व प्रबंधन, सामाजिक नियंत्रण तथा धार्मिक वैधता का भी महत्वपूर्ण आधार थी। जज़िया, ज़कात, बाज़ार नियंत्रण, दस्तावेज़ों का प्रमाणीकरण, पंचायतों के साथ समन्वय तथा सार्वजनिक हित से जुड़े कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी यह सिद्ध करती है कि स्थानीय न्यायपालिका मुगल शासन की सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में से एक थी। यद्यपि भ्रष्टाचार, प्रशासनिक हस्तक्षेप तथा सामाजिक असमानताओं जैसी सीमाएँ विद्यमान थीं, फिर भी इस संस्था ने मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक निरंतरता और न्यायिक वैधता को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया।

निष्कर्ष

मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक इतिहास में न्यायिक व्यवस्था को सदैव शासन की वैधता, सामाजिक स्थिरता तथा प्रशासनिक दक्षता का प्रमुख आधार माना गया है। प्रस्तुत शोध से यह स्पष्ट होता है कि औरंगज़ेब के शासनकाल में स्थानीय न्यायिक प्रशासन केवल केंद्रीय न्यायपालिका का विस्तार नहीं था, बल्कि वह एक सुव्यवस्थित, बहुआयामी तथा व्यावहारिक प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य कर रहा था। परगना, सरकार (ज़िला), कस्बों तथा नगरों में नियुक्त स्थानीय काज़ी सामान्य जनता और राज्य के मध्य विधिक संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थे। सामान्य नागरिक का न्यायिक संपर्क प्रायः इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से स्थापित होता था, इसलिए स्थानीय न्यायिक व्यवस्था मुगल प्रशासन की वास्तविक कार्यप्रणाली को समझने का सबसे उपयुक्त माध्यम सिद्ध होती है।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय काज़ियों की नियुक्ति केवल धार्मिक विद्वत्ता के आधार पर नहीं की जाती थी, बल्कि प्रशासनिक अनुभव, नैतिक चरित्र, विधिक ज्ञान तथा स्थानीय सामाजिक

परिस्थितियों की समझ भी समान रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती थी। कुरआन, हदीस तथा हनफ़ी फ़िक्ह का ज्ञान नियुक्ति की अनिवार्य शर्त अवश्य था, किंतु व्यावहारिक प्रशासन में सफल होने के लिए न्यायिक विवेक, निष्पक्षता तथा सामाजिक स्वीकार्यता भी आवश्यक थी। इससे यह सिद्ध होता है कि मुगल प्रशासन स्थानीय न्यायपालिका को केवल धार्मिक संस्था के रूप में नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के उत्तरदायी अंग के रूप में विकसित करना चाहता था।

शोध का दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि स्थानीय काज़ियों के अधिकार अत्यंत व्यापक थे। वे केवल दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों का निपटारा ही नहीं करते थे, बल्कि भूमि विवाद, उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, वसीयत, व्यापारिक अनुबंध, वक्फ़, दस्तावेज़ों के प्रमाणीकरण तथा सार्वजनिक हित से जुड़े अनेक मामलों में भी विधिक निर्णय प्रदान करते थे। उनके न्यायालयों में प्रस्तुत अधिकांश विवाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, भूमि अधिकार तथा पारिवारिक संबंधों से जुड़े होते थे। इस प्रकार स्थानीय न्यायपालिका सामान्य जनजीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई संस्था थी।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि स्थानीय न्यायालयों की कार्यप्रणाली आधुनिक न्यायिक सिद्धांतों के अनेक प्रारंभिक तत्वों से युक्त थी। साक्ष्यों का परीक्षण, गवाहों के बयान, दस्तावेज़ों की जाँच, प्रशासनिक अभिलेखों का उपयोग तथा आवश्यकता पड़ने पर घटनास्थल का निरीक्षण—ये सभी प्रक्रियाएँ न्यायिक निर्णयों को अधिक विश्वसनीय बनाती थीं। इससे यह धारणा असत्य सिद्ध होती है कि मुगल न्यायिक व्यवस्था केवल धार्मिक आदेशों पर आधारित थी। वास्तव में न्यायिक निर्णयों में विधिक सिद्धांतों के साथ-साथ प्रमाण एवं प्रशासनिक जाँच का भी पर्याप्त महत्व था।

पंचायत और स्थानीय काज़ी के संबंधों का विश्लेषण इस शोध की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय ग्राम समाज की परंपरागत पंचायत व्यवस्था को मुगल प्रशासन ने समाप्त नहीं किया, बल्कि उसे न्यायिक प्रक्रिया का सहयोगी बनाया। अनेक विवाद पंचायत स्तर पर ही सुलझा लिए जाते थे तथा केवल जटिल अथवा विधिक प्रश्न स्थानीय न्यायालय तक पहुँचते थे। कई मामलों में पंचायत के निर्णयों को स्थानीय काज़ी द्वारा विधिक मान्यता प्रदान की जाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि मुगल प्रशासन ने भारतीय सामाजिक संस्थाओं को अपने प्रशासनिक ढाँचे में समाहित कर न्यायिक प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक एवं सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाया।

औरंगज़ेब के शासनकाल में स्थानीय न्यायपालिका का राजस्व प्रशासन से संबंध भी अत्यंत घनिष्ठ था। विशेष रूप से 1679 ई. में जज़िया कर की पुनर्स्थापना के पश्चात स्थानीय काज़ियों की प्रशासनिक भूमिका और अधिक विस्तृत हो गई। कर निर्धारण, कर-मुक्त व्यक्तियों की पहचान, जज़िया विवादों का समाधान तथा ज़कात संबंधी मामलों में उनकी सक्रिय भागीदारी यह सिद्ध करती है कि स्थानीय न्यायपालिका केवल विवाद-निवारण की संस्था नहीं थी, बल्कि राजस्व प्रशासन का भी महत्वपूर्ण अंग

थी। भूमि एवं कर-संबंधी विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप ने प्रशासनिक निर्णयों को विधिक आधार प्रदान किया और राज्य की वैधता को सुदृढ़ किया।

बाज़ार नियंत्रण एवं सार्वजनिक हित के क्षेत्र में भी स्थानीय काज़ियों की भूमिका उल्लेखनीय थी। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण, व्यापारिक अनुबंधों, नाप-तौल संबंधी विवादों तथा बाज़ार अनुशासन में उनकी विधिक स्वीकृति प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावी बनाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि न्यायिक प्रशासन का उद्देश्य केवल अपराधों का दमन नहीं था, बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी था।

यद्यपि स्थानीय न्यायपालिका का संगठन प्रभावशाली था, फिर भी उसकी अनेक सीमाएँ थीं। न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थी तथा स्थानीय काज़ी प्रशासनिक अधिकारियों और अंततः सम्राट के अधीन कार्य करते थे। कई क्षेत्रों में स्थानीय सामंतों, प्रभावशाली ज़मींदारों तथा राजस्व अधिकारियों का प्रभाव न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ता था। समकालीन स्रोतों में रिश्तत, पक्षपात तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप के उल्लेख भी मिलते हैं। विशेष रूप से भूमि एवं कर संबंधी मामलों में न्यायिक निष्पक्षता अनेक बार चुनौती का विषय बनी रही। इससे यह स्पष्ट होता है कि आदर्श न्यायिक व्यवस्था और व्यवहारिक प्रशासन के मध्य पर्याप्त अंतर विद्यमान था।

आधुनिक इतिहासलेखन के आलोक में भी यह अध्ययन महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। कुछ इतिहासकार औरंगज़ेब की न्यायिक नीति को अत्यधिक धार्मिक मानते हैं, जबकि अन्य विद्वानों के अनुसार उसका प्रशासन मूलतः व्यवहारिक एवं राज्य-केंद्रित था। प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय न्यायपालिका में शरीअत महत्वपूर्ण विधिक आधार अवश्य थी, किंतु निर्णय केवल धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं होते थे। स्थानीय प्रथाएँ, पंचायतों की भूमिका, प्रशासनिक आवश्यकताएँ तथा आर्थिक परिस्थितियाँ भी न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करती थीं। इसलिए स्थानीय न्यायिक प्रशासन को एक **मिश्रित (Composite)** न्यायिक व्यवस्था के रूप में देखना अधिक उपयुक्त है।

समग्रतः यह निष्कर्ष निकलता है कि औरंगज़ेब के शासनकाल में स्थानीय काज़ियों की संस्था मुगल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत संस्थाओं में से एक थी। इसने न्यायिक उत्तरदायित्व, प्रशासनिक समन्वय, राजस्व प्रबंधन तथा सामाजिक स्थिरता के मध्य प्रभावी संतुलन स्थापित किया। यदि स्थानीय न्यायपालिका का यह सुदृढ़ ढाँचा विकसित न किया गया होता, तो इतने विशाल एवं बहुधार्मिक साम्राज्य में प्रशासनिक नियंत्रण तथा विधिक व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत कठिन होता। इसलिए स्थानीय काज़ियों की संस्था को केवल धार्मिक न्यायाधीश के रूप में नहीं, बल्कि मध्यकालीन भारतीय प्रशासनिक इतिहास की एक प्रभावशाली एवं बहुआयामी प्रशासनिक इकाई के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

यह शोध यह भी इंगित करता है कि भविष्य में स्थानीय न्यायालयों के अभिलेखों, फ़ारसी दस्तावेज़ों, वक्फ़ अभिलेखों, क्षेत्रीय इतिहास तथा ग्राम-स्तरीय प्रशासनिक संरचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन से मुगल न्यायिक प्रशासन के अनेक नए आयाम सामने आ सकते हैं। विशेष रूप से स्थानीय समाज, पंचायत व्यवस्था तथा न्यायिक संस्कृति के अंतर्संबंधों पर और अधिक शोध की आवश्यकता है।

संदर्भ

(क) प्राथमिक स्रोत

1. खाफ़ी खाँ, *मुन्तख़ब-उल-लुबाबा*
2. *मआसिर-ए आलमगीरी*, अनुवाद : जदुनाथ सरकार।
3. *फ़तावा-ए आलमगीरी*
4. भीमसेन, *नुस्खा-ए दिलकुशा*
5. शाहनवाज़ खाँ, *मआसिर-उल-उमरा*
6. *रुक्नाअत-ए आलमगीरी*
7. *अहकाम-ए आलमगीरी*
8. *मिरात-ए अहमदी*
9. *फ़तूहात-ए आलमगीरी*
10. चार्ल्स हैमिल्टन (अनुवादक), *हिदाया*

(ख) द्वितीयक स्रोत

11. जदुनाथ सरकार, *History of Aurangzib*, Vol. I–V.
12. जदुनाथ सरकार, *Mughal Administration*.
13. इरफ़ान हबीब, *The Agrarian System of Mughal India (1556–1707)*.
14. सतीश चन्द्र, *Medieval India: From Sultanat to the Mughals*, Vol. II.
15. एम. अतहर अली, *The Mughal Nobility under Aurangzeb*.
16. एस. ए. ए. रिज़वी, *Muslim Revivalist Movements in Northern India*.
17. हरबंस मुखिया, *The Mughals of India*.
18. आई. एच. कुरैशी, *The Administration of the Mughal Empire*.
19. एम. बी. अहमद, *Administration of Justice under the Mughals*.
20. आर. सी. मजूमदार, *The Mughal Empire*.
21. पर्सिवल स्पीयर, *The Oxford History of India*.

22. के. ए. निज़ामी, *Religion and Politics in India during the Thirteenth Century*.
23. मोहम्मद हबीब, *Politics and Society during the Medieval Period*.
24. आर. पी. त्रिपाठी, *Rise and Fall of the Mughal Empire*.
25. ए. बी. एम. हबीबुल्लाह, *The Foundation of Muslim Rule in India*.
26. एस. नूरुल हसन, *Thoughts on Agrarian Relations in Mughal India*.
27. शिरीन मुसवी, *The Economy of the Mughal Empire*.
28. इक्तिदार आलम खाँ, *Gunpowder and Firearms: Warfare in Medieval India*.
29. मुज़फ़्फ़र आलम, *The Crisis of Empire in Mughal North India*.
30. रिचर्ड एम. ईटन, *India in the Persianate Age*.